"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 जून 2013—ज्येष्ठ 23, शक 1935

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक 3064/एफ 9-3/2013/38-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 14 के उप-नियम (दो) के खण्ड (ऊ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "(ए) किसी ऐसे व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जायेगा, जो शासन द्वारा स्वीकृत मूल पद पर कार्यरत नहीं है.

   (ऐ) किसी ऐसे व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जायेगा, जिसे शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित वेतनमान, शासकीय अनुदान से प्राप्त नहीं हो रहा है."

2. नियम 14 के उप-नियम (तीन) के खण्ड (आ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "(इ) किसी ऐसे व्यक्ति को स्नातक महाविद्यालय/स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर तब तक आमेलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी नियुक्ति "छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्थान (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1979" के प्रावधानों के अनुसार उक्त पद पर नहीं हुई हो."

3. नियम 14 के उप-नियम (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"किसी विशिष्ट पद पर आमेलन के लिये वरिष्ठता, शासन द्वारा महाविद्यालय को अधिग्रहित करने की तारीख से अवधारित की जायेगी."

Raipur, the 13th June 2013

NOTIFICATION

No. 3064/F 9-3/2013/38-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After clause (F) of sub-rule (ii) of Rule 14, the following shall be added, namely :—
"(G) No such person shall be absorbed, who is not working on the substantive post sanctioned by the Government.

(H) No such person shall be absorbed, who is not receiving pay scale, approved by the U.G.C. by the Higher Education Department of Government from Government Grant."

2. After clause (B) of sub -rule (iii) of Rule 14, the following shall be added, namely :—
"(C) No such person shall not be absorbed on the post of Principal of Degree College/Post Graduate College unless he was appointed on the said post as per the provisions of "the Chhattisgarh Ashaskiya Shikshan Sansthan (Adhyapakon Tatha Anya Karmacharion Ki Bharti) Niyam, 1979."

3. For sub-rule (v) of Rule 14, the following shall be substituted, namely :—
" Seniority of absorbed on any specific post shall be determined from the date, the College was taken over by the Government."

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक 3065/एफ 9-1/2013/38-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-पांच के सरल क्र. 1 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(ख) "अध्यापकेत्तर कर्मचारीवृन्द अर्थात् लिपिकीय एवं अलिपिकीय कर्मचारीवृन्द" के सदस्य से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति जो शासन द्वारा महाविद्यालय को अधिग्रहित किये जाने के समय महाविद्यालय की स्थाई या अस्थाई सेवा में, उन पदों में से, जो इस अनुसूची के परिशिष्ट में उल्लिखित है, कोई पद धारण करता हो."

2. अनुसूची-पांच के सरल क्र. 3 के खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
"(4) ऐसा व्यक्ति जिन्हें शासकीय अनुदान से शासन द्वारा अनुमोदित वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है;

(5) ऐसा व्यक्ति जो शासन द्वारा स्वीकृत मूल पद पर कार्यरत न हो;

(6) ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्थान (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1979 के उपबंधों के अनुसार नहीं हुई हो."

Raipur, the 13th June 2013

NOTIFICATION

No. 3065/F 9-1/2013/38-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Non-Gazetted Class-III Service (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974, namely:—

AMENDMENT

In Schedule the said rules,—

1. For clause (b) of Serial No. 1 of Schedule-V, the following shall be substituted, namely :—
   "(b) "Member of non-teaching staff viz. Clerical and Non-clerical Staff" means a person holding any of posts mentioned in the Appendix to this Schedule, in permanent or temporary service of the College at the time when the said College was taken over by the Government."

2. After clause (3) of Serial No. 3 of Schedule-V, the following shall be added, namely :—
   "(4) Such persons who are not receiving pay-scale approved by the Government from the Government Grant;

   (5) Such person who are not working on the substantive post sanctioned by the Government;

   (6) Such person whose appointment is not in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Ashaskiya Shikshan Sansthan (Adhyapakon Tatha Anya Karmachrion Ke Bharti) Niyam, 1979.."

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक 3066/एफ 9-2/2013/38-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित चतुर्थ वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक (स) के शीर्षक क्रमांक 1 की कण्डिका क्रमांक (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "कर्मचारीवृंद से तात्पर्य है, किसी अशासकीय महाविद्यालय को शासनाधीन किये जाने के तुरंत पूर्व, ऐसे महाविद्यालय के स्थायी या अस्थायी सेवा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीवृंद."

2. अनुसूची-एक (स) के शीर्षक क्रमांक 3 की कण्डिका क्रमांक (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "(4) ऐसे किसी व्यक्ति का संविलियन नहीं किया जायेगा, जिसे शासकीय अनुदान से शासन द्वारा मान्य वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है.

   (5) ऐसे किसी व्यक्ति का संविलियन नहीं किया जायेगा, जो शासन द्वारा स्वीकृत मूल पदों पर कार्यरत नहीं हैं.

   (6) ऐसे किसी व्यक्ति का शासकीय सेवा में संविलियन नहीं किया जायेगा, जिसकी नियुक्ति उक्त पद पर "छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्थान (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1979" के तहत न हुई हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चौधरी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.